दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

अपील क्रमांक–1232–चार/98 M-1176-PBR/2011

दि, ग्वालियर एग्रीकल्चर कम्पनी लिमिटेड डबरा,

----अपीलार्थी

बनाम

म.प्र. राज्य ----प्रत्यर्थी

//आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. लिपकीय त्रुटि सुधार हेतु//

माननीय महोद्‌य,

आवेदक की ओर से आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यह कि, माननीय इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/04/2011 के पैरा 2 में पेज नं 2 पर छंठवी लाईन में कुल भूमि का रकवा सहवन टंकण त्रुटिवश "5485.91" एकड़ टंकित हो गया है। जबकि यह "5405.9 एकड़ है।
2. यह कि, पेज 3 पर पैरा नं–3 के उप–पैरा 1 की प्रथम लाईन में "दिनांक 16/04/85" टंकित हो गई है, जबकि यह दिनांक "16/4/65" है।
3. यह कि, पेज 3 पर है पैरा नं–3 के उप पैरा 3 की प्रथम लाईन में राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक "22/6/76" टंकित हो गया है, जबकि यह दिनांक "29/6/76" है।
4. यह कि, पेज नं–3 पर ही पैरा नं 3 के उप पैरा नं–6 की तीसरी लाईन में आयुक्त के आदेश का दिनांक "18/4/65" टंकित हो गया है जबकि यह दिनांक "16/4/65" है। इसी पैरा में लाइन नं.–4 में आयुक्त के आदेश दिनांक "18/11/72" टंकित हो गया है, जबकि यह दिनांक "28/11/72" है।

आर.डी. शर्मा
एडवोकेट

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 1176 –पीबीआर/2011 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–4–2014	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 152 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–4–2011 में लिपिकीय त्रुटियां दर्शाकर सुधार किए जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 2011 को आदेश पारित किया गया है । : लगभग 2 वर्ष से भी अधिक अवधि के पश्चात उक्त त्रुटियां संशोधित किया जाना उचित नहीं है । इस न्यायालय द्वारा अपर आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी को प्रकरण निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है, जहां अपर आयुक्त द्वारा कार्यवाही की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जाना है । अतः अपर आयुक्त यदि इस न्यायालय के मूल आदेश में लिपिकीय त्रुटियां पाते हैं तो उन्हें संज्ञान में लेकर आदेश पारित करे। उपरोक्त निर्देश के साथ आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	